पत्र सं0- ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0) / मु0 / स0प0/संग्रह समीक्षा/2016-17/ 3549 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर,वाणिज्य कर, उ0 प्र0 ।
(वि0अनु0शा0-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनॉक: 10 फरवरी,2017

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

कृपया मुख्यालय के पत्र सं0-3547 दिनांक 10-02-2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विधान सभा निर्वाचन 2017 में प्रत्याशियों द्वारा पंडाल, कैटर्स, वाहन, बैनर्स/ पोस्टर आदि का प्रयोग प्रत्याशियों द्वारा किये जाने में जिलाधिकारी कार्यालय (निर्वाचन) से आयोजन स्थलों की सूची तथा निर्वाचन व्यय हेतु टेंट पंडाल की दरें प्राप्त कर इन वस्तुओं पर देय वैट कर तथा पेपर एवं स्टेशनरी, प्रिंटेड मेटेरियल, पोस्टर एवं बैनर, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, आटोमोबाइल्स, होटल रेस्टोरेंट एवं कैटरिंग का भारी मात्रा में प्रत्याशियों द्वारा प्रयोग किये जाने में इन व्यापारियों की भी सघन जांच कराते हुए राजस्व क्षरण को रोके जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

दिनांक 09-02-2017 की मुख्यालय की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा पूर्व माह की भांति माह फरवरी 2017 में **पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, टेंट पंडाल, पेपर, पान मसाला, आटोमोबाइल्स, ड्राईफ्रूट्स व रेडीमेड गारमेंन्टस्** के व्यापारियों की जांच कराकर प्रतिदिन अनुश्रवण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

उपर्युक्त संदर्भ में आपसे अपेक्षित है कि उक्त व्यापारियों की सघन जांच कराते हुए इनके विरुद्ध जमा कराये गये वैट से संबंधित सूचना प्रतिदिन निम्न प्रारुप में मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

क्र0 सं0	व्यापारिक वस्तुएं	व्यापारिक प्रतिष्ठानों की संख्या	व्यापारिक प्रतिष्ठानों की संख्या जिनकी जांच की गयी	जांच परिणाम	कृत कार्यवाही (यदि कोई धनराशि जमा कराई गयी है ता उसका विवरण)
1.	पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर				
2.	टेंट पंडाल				
3.	पेपर				
4.	पान मसाला				
5.	आटोमोबाइल्स				
6.	ड्राईफ्रूट्स				
7.	रेडीमेड गारमेन्टस्				
योग					

(रघुबीर)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।